उत्तराखण्ड सरकार

वित्त मंत्री

प्रकाश पन्त

का

वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

"जनं विभ्रती बहुधा विवाचसम्, नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसम्
सहस्त्रधारा द्रविणस्य मे दुहाम, ध्रुवेन धेनुं रन प्रस्फुरन्ती
(अथर्ववेद)"

(अर्थात् विभिन्न भाषा बोलने वाले एवं विभिन्न गुणधर्मों के लोगों को एक ही घर में रहने वाले परिवार की भाँति जो धारण करती है, वह हमारी मातृभूमि अपने दूध को बिना रोके उन्मुक्त भाव से देने वाली गाय की भाँति धन की सहस्रधाराएं हमें प्रदान करें।)

हमारी सरकार का यह आय–व्ययक **"सबका साथ सबका विकास"** की अवधारणा पर केन्द्रित है। सुदृढ़ अद्योसंरचना, आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण इसका आधार है। यह आय–व्ययक न केवल हमारे विकास के मार्ग की दिशा स्थापित करता है साथ ही हमारे द्वारा किये जाने वाले प्रयासों एवं योजनाओं का भी प्रतिबिम्ब है। **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रदत्त "इच्छा + स्थिरता = संकल्प और संकल्प + कड़ी मेहनत = सफलता** के सिद्धान्त को अपना मूल मंत्र बनाते हुए उत्तराखण्ड की चौथी विधान सभा में हमारी सरकार का यह प्रथम आय–व्ययक है।

महोदय वित्तीय वर्ष 2016–17 एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष रहा है जहाँ एक ओर यह वर्ष 500 एवं 1000 के विशेष बैंक नोटों के बंद होने एवं इस प्रक्रिया को मिले अपार जन समर्थन, देश की जनता के धैर्य, जिजीविषा एवं समर्पण का साक्षी रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड के चौथी विधान सभा के चुनाव के रूप में परिवर्तन पर्व का भी प्रमाणक है।

" टूटे हुए तारों से फूटे बांसती स्वर
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात
कोयल की कूक रात प्राची में अरूणिमा की रेख देख पाता हूँ
गीत नया गाता हूँ।" (श्री अटल बिहारी बाजपेयी)

महोदय, मैं, सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी इस आय–व्ययक में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गये हैं, जिनमें बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर वर्गीकरण, को समाप्त कर पूँजीगत एवं राजस्व में वर्गीकृत किया जाना सम्मिलित है। **इसके अतिरिक्त यह आय–व्ययक सॉफ्टकॉपी में प्रस्तुत किये जाने वाला प्रथम पर्यावरण मित्र आय–व्ययक भी है।**

महोदय, यह वर्ष **पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है।** दीनदयाल जी ने भारत की अर्थनीति के लिये स्वदेशी, विकेन्द्रीकरण, संरक्षण तथा विकास का संयुक्त विचार और विदेशी ऋणों से मुक्ति एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की अवधारणाएं प्रस्तुत की। आर्थिक पुनर्रचना की राष्ट्रवादी तत्वदृष्टि दीनदयाल जी की भारत को देन है। उनका मानना था आर्थिक नीतियाँ मनुष्यों की प्रवृत्तियां, समाज की परम्पराओं एवं देशकाल की परिस्थितियों का एक समुच्चय होती हैं। उनका अधिकतम बल इस बात पर था कि देश शीघ्रताशीघ्र स्वावलम्बी हो जाये। मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति का संस्कार कर उनमें अधिकाधिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपयोग की प्रवृत्ति निर्मित करना आर्थिक क्षेत्र में संस्कृति का कार्य है। इस प्रकार की आर्थिक संस्कृति से व्यक्तित्व का विकास होता रहता है और संघर्ष, कलह एवं शोषण जैसी सतहें मिट जाती हैं। **पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार "हमें भावी कार्यक्रम के लिए वरियताओं का निर्माण भी करना होगा। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि "रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई" यह पाँच ऐसी आवश्यकताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए।" यदि किसी देश के जीवन स्तर का भौतिक दृष्टि से अन्दाजा लगाना है तो प्रारम्भ का शून्य बिन्दु मानकर चलना होगा। यदि समाज के किसी भी वर्ग को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो हम उस समाज का जीवन स्तर ऋण में मानकर चलेंगे।"** इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न

योजनाओं यथा **ईज ऑफ डुईंग बिजनेस, काशीपुर में मैगा फूड पार्क का विकास, स्मार्ट सिटी योजना, महिला सशक्तिकरण एवं संरक्षण मिशन के अन्तर्गत स्वधार गृह योजना, नन्दा गौरा योजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष, पं0 दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार, पं0 दीनदयाल उपाध्याय मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना,** आदि हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

महोदय, हमारी सरकार अपने गठन से आज तक अल्प समय में अनेक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। **जीरो टोलरेन्स ऑफ करप्शन** के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। खनन माफियाओं, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत संलिप्त लोगों के वाहनों सहित बड़ी संख्या में धरपकड़ की गई है। हमारी सरकार के अथक प्रयत्नों से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगा है। इस प्रकार के कार्यों से सरकार के प्रति लोगों में विश्वास की वृद्धि हुई है। महोदय हमारी सरकार को गठित हुये अभी कुछ माह ही हुये हैं, परन्तु इस अल्प समय में भी हमारी सरकार द्वारा लोक प्रशासन को सुदृढ़ करने, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु नये अभिनव प्रयास किये गये हैं। इसमें से कुछ को मैं सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। राज्य के कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँचें इस हेतु प्रथम चरण में **सचिवालय, कमिश्नरी एवं पुलिस मुख्यालय में बायोमैट्रिक प्रणाली** लागू की गई है। द्वितीय चरण में इसे जिला कार्यालयों एवं तत्पश्चात् ब्लाक, तहसील स्तर पर लागू कर दिया जायेगा। इस पहल को अत्यन्त सराहा गया है एवं इससे लोकसेवकों में अनुशासन की भावना में वृद्धि हुई है। फाइलों के समयबद्ध निस्तारण हेतु **ई–फाईलिंग** व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड (कोषागार कम्प्यूटराईजेशन) के अन्तर्गत वित्त विभाग के अधीनस्थ

निदेशालयों के प्रयोगार्थ **Integrated Financial Management Solution (IFMS)** सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसके लागू होने से प्रदेश की वर्कस् एकाउन्टिंग डिवीजन वाईज ऑन–लाईन हो जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कार्मिकों के लिए एच.आर.एम.एस. की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से उनकी सर्विस–बुक, वेतन पर्ची तथा अन्य अभिलेख ऑन–लाईन हो जायेंगे एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूवल ऑन–लाईन किया जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के हित का ध्यान करते हुए जी0पी0एफ0 नियमों का सरलीकरण किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जनहित के मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कैबिनेट की बैठक प्रत्येक माह को दूसरे व चौथे बुधवार को आयोजित की जायेगी।

दृष्टि पत्र 2017 के अनुरूप हमारी यह सरकार उत्तराखण्ड में एक सशक्त पारदर्शी शासन जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण और विकास हो के गठन के लिए प्रतिबद्ध है। दृष्टि पत्र के अनुकरण में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मे निवेश एवं रोजगार बढ़ाने, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यटन, आधारभूत संरचना विकास आदि हेतु इस आय–व्ययक में समुचित प्राविधान किया गया हैं।

राज्य में **इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी** के तहत कार्य किया जा रहा है। उद्योगों के पलायन को रोकने एवं विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क किया जा रहा है। बेल्जियम की कम्पनियों द्वारा भी उत्तराखण्ड में निवेश की अभिरूचि व्यक्त की गई है। पोलेण्ड के ओपोले प्रान्त के साथ योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिये स्टेट टू स्टेट समझौता किया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में विश्वस्तर पर स्थापित करना राज्य सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके दृष्टिगत एडवेंचर ट्यूरिज्म, होम स्टे व एपिक सर्किट विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र मे **कुट्टी गांव** (धारचूला) एक उदाहरण के रूप में स्थापित हुआ है। मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने के लिए हेल्थ रिर्सोट और योग एवं आयुर्वेद आधारित केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। शीघ्र ही **पर्यटक गाइड प्रशिक्षण केन्द्र** की स्थापना की जायेगी। पर्यटकों की सुविधा हेतु उत्तरकाशी के गोविन्द पशु विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हेतु ऑन–लाईन एन्ट्री परमिट जारी करने के लिये **सिंगल विंडो सिस्टम "पथिक"** शुरू किया गया है। देहरादून, हरिद्वार सहित प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटन महत्व के शहरों में केन्द्र सरकार की आई0पी0डी0एस0 (इंट्रीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम) के तहत अण्डर ग्राउण्ड केबिल बिछाने का कार्य किया जायेगा। आइसलेण्ड की तर्ज पर हॉटवाटर स्प्रिंग ट्यूरिज्म शुरू करने की योजना बनायी जा रही है।

राज्य के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उत्तराखण्ड में **चार धाम ऑल वेदर रोड़** परियोजना को 2020 तक पूरा किया जाना है। ऑल वेदर रोड एवं राज्य के पांच जनपदों रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी राजमार्गों में वे साइड सुविधाएं एवं पार्किंग विकसित की जायेंगी। सरकार नये बस अड्डों का निर्माण करेगी। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी हेतु कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस क्रम में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन में प्रस्तावित पुलों के निर्माण कार्यों हेतु पेयजल निगम, ऊर्जा निगम एवं वन विभाग को अपनी लाईनें स्थानान्तरित करने तथा रेल पुल की नींव के लिए स्थान खाली कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसकी जद में आने वाले चार जनपदों यथा चमोली, टिहरी,

पौड़ी और रूद्रप्रयाग में भू–अधिग्रहण के लिए आवश्यक पुनर्वास और स्थापन नीति शीघ्र ही तैयार की जायेगी। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इस प्रश्नगत परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यों से हमारे चार धाम यात्रा मार्ग एवं पर्यटन क्षेत्र विश्वस्तरीय होंगे एवं सुरक्षित, सुगम उत्तराखण्ड का संदेश सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित होगा।

राज्य सरकार का हर परिवार को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रदेश में बिजली से वंचित एक लाख पच्चीस हजार परिवारों को ऑफ ग्रिड बिजली उपलब्ध कराई जायेगी, देहरादून जिले में स्थित 300 मेगावाट का लखवाड़ मल्टीपरपज प्रोजेक्ट के वाटर कम्पोनेट का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी द्वारा केन्द्र से धनराशि जल्द निर्गत किये जाने के प्रति आश्वस्त किया गया है। जनपद हरिद्वार में 100 मेगावाट का सोलर पॉवर प्लांट कार्यशील हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रणनीति तैयार की जा रही है, इसके अन्तर्गत बंजर भूमि विकास हेतु विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी तथा कृषि क्षेत्र को रोजगारोन्मुखी लाभकारी बनाने के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों को प्रोत्साहन किया जायेगा। जैविक खेती, जड़ी बूटी, व फूलों की खेती के लिए कलस्टर बनाकर विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेगी एवं जंगली जानवरों आदि से खेती की सुरक्षा हेतु **सोलर फेन्सिंग** की जायेगी। सरकार कृषक को उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि उत्पादन विपणन एवं कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेगी तथा कृषि

उत्पादों की खरीद की गारण्टी दी जायेगी। चमोली जिले के कोटि में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पिथौरागढ़ में भी कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

सरकार **"लैस कैश से कैश लैस"** को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु सरकारी कर्मचारियों को आधार आधारित भीम एप, ई मनी, क्रैडिट कार्ड आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लैस कैश को बढ़ावा देने के लिए सस्ते गल्ले सभी दुकानों पर पी0ओ0एस0 मशीनें लगाई जायेंगी जिनमें डेबिट कार्ड चल सकेगा और बिना कैश के भुगतान हो पायेगा।

महोदय भारतीय संविधान के निर्माता श्री बी0आर0 अम्बेडकर के विचार **"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved"** को आधार बनाकर हमारी सरकार भ्रूण हत्या निषेध, महिलाओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण को उच्च प्राथमिकता हेतु कटिबद्ध है। रूद्रपुर एवं हल्द्वानी में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाये जायेंगे। पूर्व से संचालित गौरा देवी योजना को पुनर्गठित कर नन्दा गौरा योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कन्या के जन्म से शिक्षा समाप्ति तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। महिलाओं को आर्थिक, विधिक आदि सहायता प्रदान किये जाने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पं0 दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

श्री बी0आर0 अम्बेडकर के विचार **"Political democracy can not last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean ? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life."** के अनुपालन में

हमारी सरकार राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ–साथ सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिये भी प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में हुई अनियमितताओं की जांच के साथ वितरण की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं में समुचित धनराशियों का प्राविधान किया जा रहा है।

वर्तमान में वैश्वीकरण के फलस्वरूप शहरी क्षेत्र आर्थिक विकास की धूरी है। इसके तहत राज्य सरकार समस्त नगर निकायों को सुदृढ़ करने हेतु प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से मिलने वाले अनुदान में बढ़ोत्तरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह वार्षिक अनुदान ₹ 254.11 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 578.03 करोड़ कर दिया गया है। स्थानीय नगर निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु राज्य वित्त आयोग से ₹108.90 करोड़ की संस्तुति की गई है। स्थानीय नगर निकायों में प्राथमिकता पर पार्किंग निर्माण हेतु ₹15.31 करोड़ की संस्तुति राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत की गई है। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग से कर्मचारियों/पेंशनरों की पूर्व देयता हेतु ₹ 56.90 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

हम वहाँ तक पहुँचने तो पायें

ये न पूछो कि हम क्या करेंगे

सर झुकाना वहाँ मना हो

तो हम निगाहों से सजदा करेंगे।

महोदय अब मैं, कुछ अन्य बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

- जनता को होने वाली असुविधा के दृष्टिगत अभी तक चले आ रहे अनुपयोगी/अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त किये जाने के लिये एक आयोग का गठन किया जाएगा जो वर्तमान कानूनों की प्राथमिकता की समीक्षा करेगा।
- मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय में सी0एम0 डैश बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सभी कार्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएं रखी जाएगी एवं दैनिक आधार पर प्रत्येक विभाग का अनुश्रवण किया जा सकेगा।
- विभिन्न सामग्रियों की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए ई–अधिप्राप्ति को और सशक्त बनाया जाएगा।
- प्रत्येक स्कूल में बुक बैंक की स्थापना की जायेगी एवं एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाएगा।
- पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे पलायन को रोकने के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास की स्थापना की जाएगी।
- गरीब मेधावी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क लेपटॉप/स्मार्ट फोन वितरित करने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- सभी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- एन0सी0सी कैडटों को हवाई यातायात से सम्बन्धित सुरक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फ्लाईट सिमूलेटर स्थापित करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

- बी0पी0एल0 एवं आयकर के दायरे में न आने वाले परिवारों हेतु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। अभी तक चौदह लाख हैल्थ कार्ड के लक्ष्य के सापेक्ष बारह लाख हैल्थ कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।
- राज्य की विषद पर्वतीय स्थिति के दृष्टिगत गम्भीर रूप से बीमार, घायल आदि व्यक्तियों हेतु एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
- मध्य हिमालयी क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर योग अभ्यास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाक्त, शैव, वैष्णव, गोलू, नागराजा व अन्य स्थलों को सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा।
- साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रीवर राफ्टिंग को कर मुक्त कर दिया गया है।
- सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा एवं प्राकृतिक जलचक्र की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु जल नीति लायी जाएगी।
- वनाग्नि को रोकने और वन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- राज्य में सभी को 24X7 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जायेंगे। राज्य सरकार भारत सरकार के 2019 तक हर गांव को बिजली से आच्छादित करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

- जल विद्युत उत्पादन में Run of the River Project को वरीयता दी जायेगी, ताकि नदियों का प्रवाह अविरल बना रहे।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जायेगा और अगले 05 वर्षों में वैकल्पिक ऊर्जा से कुल मांग का 10 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा।
- बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सड़क निर्माण कार्यों को गति दी जाएगी। वर्ष 2019 तक सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।
- जौलीग्रांट, पंतनगर, नैनी–सैनी, चिन्यालीसौण व गौचर हवाई अड्डों की सुविधाओं में विस्तार कर नई हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।
- राज्य में नये बस अड्डों की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
- सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों के लिये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग की व्यवस्था हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- प्रदेश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन मन्दिरों एवं देवालयों, तीर्थों के रख–रखाव एवं जीर्णोधार के लिये धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- मदरसों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ते हुये उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा।

- जल क्रीड़ा व शीतकालीन खेलों का वार्षिक कैलैण्डर तैयार किया जाएगा।
- प्रदेश में आधुनिक कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी और स्किल इण्डिया मिशन से जोड़कर युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में लगातार हो रही अनियमितताओं की जाँच के साथ वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी।
- प्रदेश में विनिवेश के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया जाएगा।
- आपदा का बेहतर तरीके से सामना करने हेतु राज्य के प्रत्येक गाँव के निवासियों को एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- तहसील व ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड को 10 एम0बी0पी0एस0 किया जायेगा एवं वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा स्थापित की जाएगी।
- स्थानीय निकायों के अन्तर्गत वार्ड स्तर पर युवक/महिला मंगल का गठन/सम्बद्धीकृत किया जाएगा।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद् हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- उत्तराखण्ड राज्य में नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी एवं नियंत्रण हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- इमरजेंसी के समय के लोकतन्त्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन प्रदान करने लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- राज्य में निवेश के उचित वातावरण के सृजन एवं निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं आदि समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने एवं नीतिगत तथा प्रक्रियात्मक सुधार करने हेतु कन्सलटेन्ट एवं एकल खिड़की व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- राज्य में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो के मध्य अपराध/अपराधियों से संबंधित आँकडों आदि का आदान–प्रदान करने के लिए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का गठन किया गया है।
- कांवड़ मेले हेतु विभिन्न अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को अधिक से अधिक नवीन तकनीकी खेल सुविधा प्रदान किये जाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी स्थापित किये जाने के लिये अनुदान दिया जाएगा।
- राजकीय महाविद्यालयों का नैक से प्रत्यायन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि प्रस्तावित है।
- आयुष विभाग के अन्तर्गत योग को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रस्तावित है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ट्रामा सेन्टर की स्थापना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- हिमोफिलिया रोग की गम्भीरता के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में हिमोफिलिया पीड़ितों के उपचार हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

- हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में एम0बी0बी0एस0 की 50 सीटों की बढ़ोत्तरी हेतु धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु आय–व्ययक में धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- जल शोधन संयंत्रों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद् हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में बिना किसी सामाजिक व आर्थिक समर्थन के कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्वधार गृह योजना अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- व्यापारिक यौन शोषण के लिये तस्करी से पीड़ित महिलाओं का बचाव एवं अनैतिक व्यापार से जुड़ी महिलाओं को आश्रय प्रदान करने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उज्ज्वला योजना हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- महिलाओं के कल्याण हेतु पं0 दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जा रही है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पोषण सुधार परियोजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Act, 2016 प्राविधानों के अनुसार बाल श्रम एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि के गठन हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन–लाईन पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु सॉफ्टवेयर निर्माण तथा तत् सम्बन्धी उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव है।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत नयी सरकार के घोषणा पत्र के अनुरूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- रोजगार सेवाओं की गुणवत्ता में उचित सुधार, बेरोजगार युवकों एवं नियोक्ताओं के पंजीयन एवं नियोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप मानव शक्ति सुगमता से उपलब्ध कराने के लिये इंटरलिंकिग ऑफ एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज टू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- उत्तराखण्ड के युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार हेतु कुशल/दक्ष बनाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन के सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड **वर्कफोर्स डेवलपमेंट फॉर मॉर्डन इकोनोमी** की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- राज्य कौशल योजना को पुनर्गठित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कौशल योजना प्रारम्भ की जायेगी।

- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार जगजीतपुर को केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए धनराशि प्रस्तावित है।
- उत्तराखण्ड किसान आयोग हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश के अति निर्धन परिवारों की रसोई धुँआ मुक्त करने हेतु निःशुल्क रसोई गैस की व्यवस्था की जाएगी।
- नदियों के मियेन्डरिंग के कारण नदी में एक तरफ मिट्टी, बालू, बजरी, जमा हो जाने से नदियां कटाव करती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।
- बाढ़ परिक्षेत्र निर्धारण/चिन्हीकरण के कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- राज्य की सिंचन क्षमता में वृद्धि एवं पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे थरकोट, कोलीढेक एवं सूर्यधार आदि में वृहद झील का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।
- नैनीताल झील एवं उससे सम्बद्ध नालों/झीलों के अनुरक्षण हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- सड़क सुरक्षा समिति के कार्यान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- सड़कों के किनारे नालिकाएं (Duct) हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है जिससे सड़कों को बार–बार विभिन्न कार्यों हेतु खोदने की आवश्यकता नहीं होगी एवं धन व समय दोनों की बचत होगी।

- राज्य में प्रतिवर्ष आपदा एवं वर्षा से होने वाले भू–क्षरण के उपचार हेतु योजना के लिए धनराशि प्रस्तावित है।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में अग्रणी बने रहने के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- केन्द्र पोषित योजना **"ब्लू रिवोल्यूशन–समन्वित मात्स्यिकी विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम"** के अन्तर्गत जारी की गई विभिन्न योजनाओं की गाईड–लाईन्स के आधार पर राज्य में मत्स्य पालन के विकास के दृष्टिगत धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- राज्य में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण औद्यानिक फसलों एवं फसलों को होने वाली क्षति के दृष्टिगत विभिन्न औद्यानिक फसलों के विविधीकरण हेतु योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण, कृषकों जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना आदि कार्य किये जाएंगे।
- काशीपुर में "मेगा फूड पार्क" तथा उसके अन्तर्गत स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों व उसकी सहबद्ध पैकेजिंग इकाईयों हेतु अनुमन्य विशेष छूट की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- रेत, बजरी, पत्थर, खनन पर एकाधिकार समाप्त करने एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने हेतु एक सुस्पष्ट नीति बनायी जाएगी।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पी0ओ0एस0/इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन आदि की व्यवस्था हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायत कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी (एस.टी.), जैव प्रौद्योगिकी (बी.टी.) व सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), अर्थात थ्री टी सिद्धान्त को विकसित किया जाएगा।
- युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे।

कृषि :

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर है। राज्य स्थापना के समय कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल 7.70 लाख हैक्टेयर था वह निरन्तर घटते हुए 7 लाख हैक्टेयर रह गया है। वर्ष 2016–17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17 लाख 77 हजार मैट्रिक टन रहने की सम्भावना है। वर्ष 2017–18 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 19 लाख 77 हजार मैट्रिक टन रखा गया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन लागत में 35 प्रतिशत कमी लाना, कृषि में उन्नत फसल पद्धतियों का प्रयोग, समुचित विपणन व्यवस्था, खेती से जुड़े अन्य वैकल्पिक श्रोतों से कृषकों की आय में वृद्धि, आधुनिक तकनीकी एवं संचार माध्यमों का उपयोग, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया गया है।

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत असिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट हेतु विभिन्न फसल पद्धतियों के अन्तर्गत चयनित किए गए 44 क्लस्टरों में यह योजना

संचालित की जा रही है। मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण के अन्तर्गत ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, मौन पालन, पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, गली नियंत्रण संरचनाएं (सामुदायिक), वर्मी कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की जा रही है। कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने, प्रशिक्षण, सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं मृदा सुधारकों हेतु वित्तीय सहायता, क्षमता विकास, आई0सी0टी0 टूल्स का प्रयोग तथा जागरूकता हेतु वर्कशॉप का आयोजन आदि सम्मिलित है। **सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य** है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्रत्येक खरीफ एवं रबी मौसम में कृषक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों आदि के कारण संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु संचालित की जा रही है।** कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंन्ट मिशन चलाया जा रहा है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंन्ट गोल्स स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए विभागों द्वारा विजन 2030 तैयार किया गया है, जिस पर वर्ष 2017–18 से कार्य किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए परम्परागत कृषि के समग्र एवं रोजगारपरक विकास का प्रयास तथा मैदानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

उत्तराखण्ड राज्य के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन परम्परागत रूप से "कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय" रहा है। पशुपालन विभाग प्रदेश में 19वीं पशुधन संगणना वर्ष 2012 के

अनुसार 48 लाख पशु सम्पदा व 46 लाख कुक्कुट सम्पदा को विभाग के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा तीर्थयात्रियों, पर्यटकों एवं राज्य वासियों को पशुजन्य उत्पाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लघु सीमान्त, भूमिहीन व निर्बल वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुपालक को बहुमूल्य पशुधन की आर्थिक सुरक्षा हेतु "नेशनल लाईवस्टॉक मिशन" योजनान्तर्गत **पशुधन बीमा योजना** चलाई जा रही है, जिसमें एक पशुपालक के 05 पशुधन (10 छोटे पशुधन=एक पशु) को बीमित किया जाएगा। उत्तराखण्ड राज्य की पंजीकृत गौ नस्ल "बद्री नस्ल" के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना चलाई जा रही है। पशुपालकों को न्याय पंचायत स्तर पर सम्पीडित व सुपाच्य चारा कॉम्पैक्ट फीट/यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्रिक्स के रूप में उपलब्ध कराकर पशुजन्य उत्पादों में वृद्धि करने हेतु विभाग प्रयासरत है। निराश्रित, अशक्त एवं आवारा पशुओं को उचित शरण स्थली प्रदान करने हेतु गौ सदन संचालक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

डेयरी विकास विभाग अन्तर्गत ग्राम स्तर पर गठित 4001 दुग्ध सहकारी समितियों के 152164 दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा 1.76 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया जा रहा है।

गंगा गाय महिला डेयरी योजनान्तर्गत वर्तमान तक दुग्ध सहकारी समितियों की 690 महिला सदस्यों को दुधारू गाय क्रयार्थ ₹ 27 हजार प्रति गाय की दर से राज सहायता तथा ₹ 20 हजार बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा वर्ष के अन्त तक कुल 1040 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

वर्ष 2017–18 में गंगा गाय महिला डेयरी योजनान्तर्गत 200 महिला दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 50 हजार दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड राज्य में मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु विगत वर्षों में जनता की आकांक्षायें प्रबलता से बढ़ी हैं एवं अनेक व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़ गये हैं। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा नवीन कार्यक्रम ''ब्लू रिवोल्यूशन'' समन्वित विकास एवं मात्स्यिकी प्रबन्धन'' प्रारम्भ किया गया है, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में भी उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं संचालित कर वर्ष 2020 तक नये स्रोत विकसित करने के साथ–साथ पूर्व से कार्यरत मत्स्य पालकों के जल संसाधनों में क्षमतानुसार मत्स्य उत्पादन प्राप्त कराते हुए **राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य पालकों की आय को दोगुना किया जाना लक्षित है**। समस्त स्रोतों से लगभग 4500 टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जाना लक्षित है। भारत सरकार के नवीन कार्यक्रम ''मिशन फिंगरलिंग'' अन्तर्गत रियरिंग यूनिटों का निर्माण एवं चिन्हीकरण कर सुनियोजित व्यवस्थानुरूप जलाशयों एवं अन्य जलक्षेत्रों में मत्स्य बीज संचय किया जाएगा।

सहकारिता :

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 10 जिला सहकारी बैंक, 759 पैक्स एवं 5 शीर्ष सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया जा रहा है। प्रारम्भिक सरकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण खाद, बीज वितरण, कीटनाशक रसायन व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को कराई जा रही है। सहकारिता विभाग समितियों के लिए एक मित्र, विचारक एवं पथ–प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है।

उत्तराखण्ड प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को फसली ऋण एवं कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार योजना, उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता, पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेप के लिए निक्षेप गारण्टी योजना आदि संचालित की जा रही हैं। **सहकारिता विभाग के पैक्स में माइक्रों ए0टी0एम0 की सुविधा हेतु एन0सी0डी0सी0 से लोन लिया जायेगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान की जायेगी।**

राज्य सरकार सहकारिता की मूल भावना के अनुरूप राज्य में सहकारिता का विकास करने को प्रतिबद्ध है, इसके दृष्टिगत 13 से 19 मई को देहरादून में अन्तर्राज्यीय सहकारी निवेश सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2017 का सफल आयोजन किया गया।

ग्राम्य विकास :

राज्य के सुदूरवर्ती गांव राज्य की आत्मा को प्रतिबिम्बित करते हैं। राज्य सरकार समस्त गांवों को चरणबद्ध तरीके से आदर्श ग्राम बनाने हेतु संकल्पित है, इसके दृष्टिगत प्रत्येक गांव में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना, गांव में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना एवं सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना सरकार के उद्देश्य हैं। केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यों को क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण संयोजकता को पूर्ण करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में संचालित की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा **वर्ष 2022 तक हर परिवार को छत देने का लक्ष्य** रखा गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) (ग्रामीण) के द्वारा वर्ष 2016–17 में 7334 आवास निर्मित कराये गये।

दीनदयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब/अतिगरीब परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करते हुए उनको संस्थागत तथा कौशल विकास कर स्वरोजगार के विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में 5395 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं पुनर्गठन किया गया है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

राज्य गठन के समय से चले आ रही विभागीय परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण से सम्बन्धी कार्यवाही मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अपने अन्तिम चरण में है। सिंचाई विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित भूमि की सिंचाई सुविधा हेतु स्प्रिंकलर प्रणाली पर आधारित मिनी नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण, बहुद्देशीय जलाशयों एवं बड़ी–बड़ी नहरों का निर्माण, नदियों से भूमि कटाव रोकने एवं बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण तथा नमामि गंगे के अन्तर्गत स्वच्छ गंगा अभियान, घाट निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड के पहाड़ी जनपदों में सिंचाई के साधन अत्यन्त सीमित हैं। राज्य सरकार असिंचित क्षेत्रों को सिचिंत क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने को प्राथमिकता दी जा रही

है। राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने एवं वर्षा जल के पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोसी नदी के संरक्षण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अन्तर्गत स्वचालित रैन गेज स्टेशन, मैनुअल रैन गेज नदियों पर जल प्रवाह की वेलोसिटी एवं गेज मापक संयंत्रों को लगाये जाने की योजना तैयार कर ली गई है जिसके क्रियान्वयन से वर्षा जल के माप एवं नदियों में प्रवाहित होने वाले जल की माप का समुचित डाटा तैयार किया जाएगा जिसका प्रयोग जल संसाधनों के प्रबन्ध में किया जाएगा।

लघु सिंचाई विभाग के द्वारा राज्य के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के छोटे जल स्रोतों का उपयोग कर, छोटी–छोटी योजनाएं बनाकर कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप बड़ी योजनाओं का निर्माण व्यवहारिक एवं लाभप्रद नहीं होता है और न ही इसका रख–रखाव लम्बे समय तक सम्भव हो पाता है। अतः स्थानीय स्तर पर लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण द्वारा उपलब्ध जल स्रोतों का समुचित उपयोग कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण :

भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 23.41 प्रतिशत वनों के सापेक्ष उत्तराखण्ड में भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 71.05 प्रतिशत वन क्षेत्र है। देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के हित में यहाँ के वनों एवं जैव विविधता को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि उत्तराखण्ड के वन सम्पूर्ण उत्तर भारत के श्वास परिसंचरण तन्त्र के रूप में कार्य करते हैं।

उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है। इसकी कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

राज्य में परिस्थितिकीय पर्यटन को राजस्व अर्जन के साथ–साथ स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। धनौल्टी की तर्ज पर राज्य के विभिन्न स्थानों में इको–पार्क स्थापित किये जायेंगे। **नमामी गंगे परियोजना** देश के पाँच राज्यों उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल में चलाई जा रही है। चूँकि गंगा नदी का उद्गम हमारे राज्य से होता है अतः गंगा को प्रदूषण मुक्त करना हमारे राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है। उत्तराखण्ड में इस योजना को 23372 वर्ग कि0मी0 में क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.7 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत तीन प्रोटेक्टेड क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 21 वन प्रभागों में कार्यवाही की जा रही है। **ग्रीन इण्डिया मिशन योजना** अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु 10 वर्षीय Perspective Plan तैयार किया गया है। इसकी कार्ययोजना के अन्तर्गत रामगंगा, काली एवं भागीरथी जलागमों के चयनित सूक्ष्म–जलागमों में सब मिशन-1 व 2 के क्रियान्वयन हेतु 7483 है0 क्षेत्र चयन कर उसमें वनीकरण एवं सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन कार्य किये जायेंगे। प्रदेश में वानिकी कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के उद्देश्य से ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 06 कम्पनियाँ कार्यरत हैं। इन कम्पनियों के द्वारा देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली तथा पिथौरागढ़ जनपदों के दुर्गम एवं दूरस्थ स्थलों में वनीकरण कार्य किये जा रहे हैं, जिससे भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास :

उत्तराखण्ड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। राज्य के सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को हर प्रकार से सहायता देने हेतु सरकार प्रयत्नशील है। वर्तमान में इस प्रदेश में पूर्व सैनिक एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की पंजीकृत संख्या लगभग 1.63 लाख है तथा लगभग 62 हजार सैनिक सशस्त्र सेना में सेवारत हैं। राज्य के **जखोली में दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना** की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक कदम है। इसके निर्माण से उत्तराखण्ड के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी तथा क्षेत्र का समुचित विकास होगा। सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों व आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं जैसे भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण योजना, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन/अनुदान, सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण व रख–रखाव, शौर्य दिवस एवं विजय दिवस समारोह मनाया जाना एवं राज्य में सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों/कार्मिकों को गृह कर में छूट आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

"स्त्री हूँ तो क्या हुआ आचार्य, स्त्री के क्या विचार नहीं होते? उनके मन में शंका कुशंकाओं की आँधी नहीं उठ सकती? उसके पास भी मस्तिष्क है, हृदय है और फिर वह भी तो राष्ट्र अंग है। उसका भी राष्ट्र के प्रति दायित्व है और उस दायित्व को निभाने का उसको भी अधिकार है (पं0 दीनदयाल जी कृति 'जगद्गुरू शंकराचार्य' से साभार)"। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखण्ड का हर बच्चा स्वस्थ वातावरण में सांस ले और उसे वह हर सुविधा मिले जिससे उसके अन्दर की क्षमताओं, योग्यताओं का प्रस्फुटन हो

सके। वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में 08 शहरी एवं 97 ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार राज्य में कुल 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों को लाभान्वित करने हेतु 14947 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 5120 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री–स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध करायी जाएगी, इसी प्रकार 35014 कार्यकर्ताओं को 02 साड़ी/सूट व बैज दिये जाएंगे। किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 70 विकासखण्डों में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सर्वांगीण विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अन्तर्गत अनेक योजनाएं संचालित हैं। **इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष, नन्दा गौरा योजना, स्वधार गृह योजना, उज्ज्वला योजना प्रारम्भ की जा रही है एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी।**

कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में किया गया है। **रूद्रपुर एवं हल्द्वानी में कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।** विशेष सहायता योजना एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत आपदा ग्रस्त जनपदों में 06 हथकरधा इकाई, 05 मौन पालन ईकाई, 02 मसाला उत्पादन ईकाई एवं 400 निःशुल्क गैस कनेक्शनों का विवरण किया गया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :

उत्तराखण्ड राज्य के जनमानस को "सबके लिये स्वास्थ्य" को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत राज्य के जनमानस को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के

लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बहु विशेषज्ञता शल्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है तथा निःशुल्क नेत्र शिविर भी वृहद संख्या में लगाए जा रहे हैं। गाँधी नेत्र चिकित्सालय का संचालन इसी वर्ष प्रारम्भ किया जाएगा।

राज्य में पं0 दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपात कालीन सेवा के माध्यम से संकट की घड़ी में सामान्य जनता को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हुए निकटतम चिकित्सा इकाई तक निःशुल्क पहुँचाने के लिये राज्य के प्रत्येक विकासखण्डों को सम्मिलित करते हुए 137 एम्बुलेन्सों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 01 बोट एम्बुलेन्स टिहरी जनपद में टिहरी झील में तैनात की गई है।

आयुष चिकित्सा पद्धति सामान्य रोगों के उपचार में कम खर्चीली तथा प्रभावी है। आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए उत्तराखण्ड, सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।

चिकित्सा शिक्षा :

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक कारगर एवं बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य में रूद्रपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कोटद्वार तथा भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज क्रियान्वित किये जायेंगे। 150 प्रशिक्षु क्षमता का दून मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र् प्रारम्भ किया जा चुका है। 100 प्रशिक्षु क्षमता का अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक सत्र् 2017–18 से प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में सेवायोजन के अवसर उत्पन्न करने हेतु नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज देहरादून के

अतिरिक्त 06 नर्सिंग कॉलेजों को समेकित मॉडल में प्रारम्भ किये जाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उक्त के अतिरिक्त राज्य में हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, एवं कुलपति व उनके अधिष्ठान ने पूर्ण रूपेण कार्य करना प्रारम्भ कर लिया है।

विद्यालय शिक्षा :

बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं (हर्बट हूवर) के दृष्टिगत प्राथमिक शिक्षा विभाग बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। शिक्षा से वंचित छात्रों को अधिकाधिक संख्या में शासकीय विद्यालयों में नामांकित करने के उद्देश्य से **जन–जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम** के तहत प्रत्येक माह की छः तारीख को प्रवेश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय विद्यालयों के प्रति समुदाय को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 03 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का विकल्प दिया गया है। **श्री ऐ0पी0जे0 अब्दुल कलाम के अनुसार भविष्य में सफलता के लिए रचनात्मकता बेहद जरूरी है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान टीचर उस स्तर पर बच्चों में रचनात्मकता का विकास कर सकता है।** छात्रों में छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से माह के अन्तिम शनिवार को प्रतिभा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन **नो बैग डे** होता है। इस दिन छात्र अपनी प्रतिभा के अनुसार शिक्षकों के देखरेख में खेल, संगीत, ड्राईंग आदि गतिविधियाँ करते हैं।

शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रथम चरण में 190 राजकीय मॉडल स्कूलों में बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित की गई हैं। वर्तमान वर्ष में 1500 विद्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1054 राजकीय माध्यमिक

विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के **कौशल विकास हेतु उन्नति कार्यक्रम** संचालित किया जा रहा है। **हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले 18–18 विद्यार्थियों को दीनदयाल उत्कृष्टता पुरस्कार, 06 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार दिया जायेगा तथा बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को सम्मानित किया जायेगा।**

स्थानान्तरण में पारदर्शिता हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण ई0पोर्टल के माध्यम से किये जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा :

उत्तराखण्ड प्रदेश को ज्ञान प्रदेश के रूप में रूपान्तरित करने में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिनमें असेवित एवं पिछड़े क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का विस्तार, महाविद्यालयों का ढ़ॉचागत विकास, मॉडल महाविद्यालयों में स्तरीय उच्च शिक्षा व्यवस्था, अध्ययन के साथ–साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ, क्रीड़ा आदि सुविधाओं का निरन्तर विकास किया जा रहा है। स्नातक स्तर पर छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। विभाग द्वारा **सभी विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई फाई की योजना** प्रस्तावित है। राज्य सरकार प्रदेश को एक **ऐजूकेशन हब** के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है एवं अनेक क्षेत्रों को इस दिशा में विकसित किया जाएगा।

प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण :

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र डिप्लोमा स्तरीय शिक्षा सरलता से प्राप्त कर तकनीकी कुशल बनकर

रोजगार प्राप्ति कर सकें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभाग निरंतर प्रयासरत है राज्य में वर्तमान में 78 राजकीय पॉलीटेक्निक हैं। राज्य में 01 वित्त पोषित पॉलीटेक्निक संस्थान एवं 56 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हैं।

राज्य में स्थापित नये तथा पुराने राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों को ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों के अनुसार भूमि प्राप्त कर भवन निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए 14 पॉलीटेक्निक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक लरनिंग सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने कौशलता विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल के साथ–साथ ज्ञान को विभिन्न स्तरों पर परिमार्जित करने हेतु लागू किया है। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मंत्रालय ने पूरे देश में 200 कम्यूनिटी कॉलेज प्रस्तावित किये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में 10 कम्यूनिटी कॉलेज स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 09 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित हैं।

छात्र–छात्राओं एवं युवाओं हेतु उनके कौशल विकास में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य में अब तक कुल 176 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 147 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुचारू रूप से छात्र–छात्राओं को विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार/रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति द्वारा राज्य भर से आतिथि तक कुल 29,424 युवा पंजीकृत किये गए हैं। समिति ने अपने वेब पोर्टल पर छात्रों की उपस्थिति रियल टाइम में उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की है।

उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति ने देहरादून, हरिद्वार सितारगंज एवं हल्द्वानी जेल में जेल इनमेट एवं नारी निकेतन की संवासिनियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिससे प्रशिक्षुओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे भविष्य में वे स्वयं कोई काम शुरू कर सकते हैं।

इस वर्ष उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति द्वारा **प्रधानमंत्री कौशल योजना–2** का संचालन किया जाएगा, जिसके माध्यम से 13200 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

श्रम एवं सेवायोजन :

विभाग का उद्देश्य बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अवसर प्रदान करने में सहायता करना व मानव संसाधन प्रबन्धन की एक एजेन्सी के रूप में कार्य करना है। रोजगार सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु नेशनल कैरियर सर्विस योजना के अन्तर्गत नेशनल कैरियर सर्विस (NCS) पोर्टल भी विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर देश भर के नियोजक बेरोजगार युवा पंजीयन करा सकते हैं। राज्य में स्थापित मॉडल कैरियर सेन्टर देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में 22415 युवाओं का पंजीयन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में 16 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं तथा समस्त सेवायोजन कार्यालय ''कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर'' के रूप में स्थापित हैं।

नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सभी जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों में ऑन–लाईन पंजीयन की व्यवस्था आरम्भ की जा चुकी है। पंजीयन सेवा को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग की अन्य सेवाओं को भी ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा।

कला एवं संस्कृति :

संस्कृति विभाग का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण–संवर्द्धन एवं सर्वांगीण विकास करना है। इसके दृष्टिगत बागेश्वर, उत्तरकाशी, चम्पावत, रूद्रपुर तथा देहरादून में निर्माणाधीन प्रेक्षागृहों का कार्य पूर्ण किया जाएगा तथा इन्हें आँचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। **हिमालयन इन्स्टीट्यूट को पूर्ण कर संचालित किया जायेगा एवं इसमें राज्य आन्दोलनकारियों हेतु एक गैलरी स्थापित की जायेगी।** धार्मिक आस्था के महत्वपूर्ण केन्द्र प्रदेश के लगभग 100 वर्ष पुराने देवालयों, मन्दिरों, स्थलों एवं स्मारकों का वृहद सर्वेक्षण कराकर उन्हें विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किया जाएगा तथा प्रदेश के पारम्परिक लोक वाद्य 'ढोल' को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वृहद कार्ययोजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश की अमूर्त (Intangible) सांस्कृतिक विरासत जागर, लोक गाथाओं एवं लोक कलाओं, आदि का वृहद स्तर पर संरक्षण हेतु कार्यशालाएं, ऑडियो बिजुवल डाक्यूमैंटेशन का कार्य किया जाएगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने में सेतु की भूमिका निभाता ही है साथ ही साथ विकास कार्यों के सफल संचालन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की अहम भूमिका को देखते हुए मीडिया से पर्याप्त संवाद एवं समन्वय भी स्थापित करता है।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में मीडिया की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मीडिया के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत अनेक योजना संचालित हैं।

विभाग द्वारा फेसबुक, ट्वीटर तथा विभागीय वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी विश्वपटल योजनाओं एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है। राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियों/योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार साहित्य का प्रकाशन तथा जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से उक्त साहित्य का वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

राज्य में प्रचलित विभिन्न बोलियों/भाषाओं में राज्य सरकार की योजनाओं/ कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का चयन किया गया है। जिनके माध्यम से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

परिवहन :

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय राज्य होने के कारण सड़क परिवहन यातायात का मुख्य साधन है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार, ऋषिकेश, फूलों की घाटी, मसूरी एवं नैनीताल आने वाले यात्रियों को सुलभ एवं आरामदायक सुविधाएं एवं दुर्घटना रहित सेवाएं प्रदान करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

विभाग सेवायोजन के क्षेत्र में भी कार्यशील है। वीर चन्द्र गढ़वाली स्वरोजगार योजना, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के आधार पर वाहनों को क्रय करने वाले लाभार्थियों को परिवहन विभाग द्वारा उदार नीति से परमिट जारी किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यवसायिक वाहनों को ऑन–लाईन कर भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों को ऑन–लाईन कर भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त सुविधा के माध्यम से वाहन स्वामी कभी भी, कहीं भी के आधार पर अपनी वाहन का ऑन–लाईन कर जमा करा सकता है। नई वाहनों के पंजीयन में आवेदकों को परिवहन कार्यालय में बार–बार आने से छूट प्रदान करने एवं ऑन–लाईन कर भुगतान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से पायलेट परियोजना के रूप में संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में ऑन–लाईन डीलर प्वाईंट डाटा एन्ट्री/कर भुगतान की सुविधा प्रारम्भ की गई है। शीघ्र ही यह व्यवस्था राज्य के समस्त जिलों में संचालित की जायेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

उत्तराखण्ड प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश की जनता को गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न उचित मूल्य पर दिलाये जाने का कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित प्राथमिक परिवारों एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 61.94 लाख लाभार्थियों को प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ–साथ अवशेष ऐसी आबादी जिसकी वार्षिक आय ₹ 5.00 लाख से कम है को राज्य खाद्य योजना से आच्छादित कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के दुरूपयोग व काला बाजारी को रोकने हेतु व उपभोक्ताओं को नियमित खाद्यान्न निर्धारित मात्रा व उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने

हेतु End to End कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत राशन कार्डो का डिजीटाईजेशन, राशन की दुकानों पर पी0ओ0एस0 मशीन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मर्यादायों के अधीन हमारा औद्योगीकरण विशेषतः विद्युत शक्ति को आधार बनाकर चल सकता है। सर्वाधिक बल हमें गाँव–गाँव में तथा छोटे–छोटे कस्बों में बिजली पहुँचाने पर देना चाहिए। उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2017–18 में 700 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किये जाने का लक्ष्य है। अब तक 103 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 18 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 24 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण किया जाना है।

उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 2 नये वितरण क्षेत्रों हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर, 2 नये मण्डल पिथौरागढ एवं टिहरी तथा 4 नये खण्डों धारचूला, डोईवाला, नारायणबगड एवं रायपुर का सृजन किया गया है।

बेहतर उपभोक्ता सेवा हेतु 24X7 कॉल सेन्टर प्रारम्भ किया गया है। कारपोरेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं को डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड एवं नैट–बैंकिंग द्वारा बिलों का ऑन–लाईन भुगतान, बिल देखने एवं डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं को स्पाट बिलिंग की सुविधा प्रदान कर दी गई है, जिसके अन्तर्गत मीटर रीडिंग के समय ही उपभोक्ताओं को त्वरित बिल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विद्युत कटौती की पूर्व सूचना वेबसाईट पर प्रदर्शित की जा रही है तथा औद्योगिक एवं बड़े उपभोक्ताओं को एस0एम0एस0 के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। साथ ही सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को

नये विद्युत संयोजन हेतु ऑन–लाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा 400 के0वी0 श्रीनगर–श्रीनगर (पी0एच0) लाईन एवं 132 के0वी0 श्रीनगर–सिमली लाईन को ऊर्जीकृत कर दिया गया है जिससे गढवाल क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो गई है। इसके अतिरिक्त जनपद देहरादून में 220 के0वी0 डी0सी0 पी0जी0 सी0 आई0 एल0(शेरपुर)–झाझरा, देहरादून लाईन (12 सर्किट किमी) तथा 132 के0वी0 पुरकुल–ढालीपुर लीलो (5.3 सर्किट किमी0) लाईन ऊर्जीकृत हो गई है जिससे देहरादून की विद्युत गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

इसके अतिरिक्त राज्य में आने वाले विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत की निकासी हेतु समेकित पारेषण तंत्र की स्थापना की गई है जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और साथ में उत्तरी ग्रिड भी स्थिर होगा व अन्य पड़ोसी राज्य भी लाभान्वित होंगे।

यूजेवीएन लिमिटेड उत्तराखण्ड राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य की जल विद्युत एवं ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों एवं क्षमता के विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार का उपक्रम है। वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड के अन्तर्गत 1290.10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं परिचालन में हैं तथा 173.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है।

नई परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में जनपद देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 120 मे0वा0 क्षमता की ब्यासी जल विद्युत

परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 300 मे0वा0 की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड की सीमा पर 660 मे0वा0 की किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु किशाऊ कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जा चुका है। जनपद चमोली में स्थित 300 मे0वा0 की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग के सभी सम्बन्धित 24 निदेशालयों द्वारा प्रदान कर दी गई है।

सोलर ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.978 मेगावाट क्षमता सोलर रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 28.537 मेगावाट क्षमता सोलर रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है।

सिडकुल सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर में 50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट **"सोलर पार्क"** की स्थापना हेतु स्थल चयन पूर्ण किया जा चुका है। मार्च 2018 तक योजना पूर्ण होनी सम्भावित है। सूर्योदय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 4/5 किलोवाट क्षमता के 2000 ग्रिड कनेंक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है। वर्तमान तक 473 (1892 किलोवाट) संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है एवं अवशेष संयंत्रों की स्थापना जुलाई 2017 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

ऊर्जा बचत हेतु प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को एल0ई0डी0 बल्बों के वितरण की योजना चलाई जा रही है, इस योजना में वर्तमान तक 35.56 लाख एल0ई0डी0 बल्ब विभिन्न विद्युत उपभोक्ताओं को वितरित किए जा चुके हैं। ई0ई0एस0एल0 के सहयोग से ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईटों एवं पंखों का वितरण किया जा रहा है।

राज्य सरकार के प्रयासों से केन्द्र सरकार में राज्य में पावर सेक्टर को मजबूती देने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0डी0बी0 से मिलने वाले 819.20 करोड़ रुपये के ऋण को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। इस धनराशि से राज्य में नई ट्रान्समिशन लाईन के साथ ही नये सब स्टेशनों की स्थापना और पुराने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि की जा सकेगी। यह धनराशि राज्य के ऊर्जा विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

सड़क एवं सेतु :

प्रदेश में अवस्थापना विकास हेतु लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होने तथा सड़कों तथा सेतुओं के चहुँमुखी निर्माण एवं सुविधायुक्त यातायात विस्तार के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सतत् प्रयासों के फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा योजनाओं में कुल 801 किमी0 लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण, 1470.50 किमी0 लम्बाई में मार्गों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण तथा 115 सेतुओं, 3 फ्लाई ओवर सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

विगत वर्षों में वर्षाऋतु तथा मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा होने, प्राकृतिक आपदा तथा भू–स्खलन की घटनायें घटित होने के कारण प्रदेश की सड़कों तथा सेतुओं को व्यापक क्षति पहुँची हैं तथापि सीमित वित्तीय संसाधनों तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियों के उपरान्त भी लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण एवं बन्द मार्गों को यातायात हेतु त्वरित रूप से उपलब्ध कराये जाने का सराहनीय कार्य किया गया है। प्रदेश में पर्यटन, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा औद्योगिक विकास की गति को बढाये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्माणाधीन महत्वूपर्ण सड़क परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण

कराये जाने के लक्ष्य के साथ–साथ कुछ नई महत्वाकांक्षी एवं बहुआयामी सड़क व सेतु परियोजनाओं के प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य भी लक्षित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर चौरास को जोड़ने हेतु अलकनन्दा नदी पर 190 मीटर लम्बाई में डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य, जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती में कैलाश गेट के समीप गंगा नदी पर 310 मीटर लम्बा पैदल सेतु का निर्माण कार्य, जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के ऊपर 440 मीटर लम्बा डोबरा–चॉटी भारी वाहन झूला सेतु का निर्माण कार्य, जनपद चमोली में गोविन्दघाट घॉघरिया पैदल मार्ग पर लक्ष्मण गंगा नदी पर 135 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल का निर्माण, जनपद देहरादून में भानियावाला से रानीपोखरी (डांडी) तक दो लेन मोटर मार्ग को चार लेन में परिवर्तन किये जाने का कार्य, भारत नेपाल सीमा पर सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग का निर्माण, देहरादून शहर के अन्तर्गत मोहकमपुर में रेलवे क्रासिंग के ऊपर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ऑल वेदर रोड़ परियोजना के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत किये जा चुके कार्यों को उच्च प्राथमिकता एवं तत्परता के आधार पर पूर्ण किया जाना लक्षित है तथा अन्य प्रस्तावित कार्यों, जिनकी डी0पी0आर0 की स्वीकृति अपेक्षित है, के डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जायेगी।

बजटीय तथा राजकोषीय सुधार के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग में महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्य एवं नीतिगत प्रयास भी किये गये हैं। लोक निर्माण विभाग में गतिमान निर्माण कार्यों के भुगतान

प्रक्रिया को सरल, सहज एवं पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से विभाग के ठेकेदारों/फर्मों के देयकों का भुगतान, ऑन–लाईन तथा ई0–पेमेन्ट के माध्यम से किया जा रहा है। विभागीय निर्माण कार्यों में नयी पहल करते हुए मार्गों के निर्माण में नवीनतम तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु कोल्ड मिक्स तथा वार्म मिक्स तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

औद्योगिक विकास :

उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा राज्य के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया। उत्तराखण्ड देश के औद्योगिक मानचित्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है। निवेशकों के लिए पारदर्शी एव समयबद्ध अनुमतियों, अनुमोदनों हेतु "ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" की दशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है, विभिन्न विभागों के लिये निर्धारित कार्यबिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था ऑनलाईन कर दी गई है जिसमें उद्यमी एक ही पोर्टल पर जाकर सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे एवं ऑन–लाईन आवेदन कर सभी अनापत्तियों/स्वीकृतियों एवं अनुज्ञायें निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। प्रदेश में कुल 53487 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित हुए हैं, इनमें ₹ 11221 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 260416 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि राज्य गठन के समय प्रदेश में मात्र 14163 उद्यम स्थापित हुए थे, इनमें

₹ 700.29 करोड़ का पूँजी निवेश एवं 38509 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। पी0एम0ई0जी0पी0 योजना के सफल क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड राज्य लगातार देश में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले राज्यों में सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों से निकले छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित किये जाने हेतु **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति 2017 प्रख्यापित की गयी है।** इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में इन्क्यूबेशन एवं स्टार्ट–अप क्षेत्र में पूँजी निवेश को आकर्षित करते हुए 7 वर्षों के भीतर राज्य में कुल 2 लाख वर्ग फीट इन्क्यूबेशन क्षेत्र का विकास करना तथा न्यूनतम ₹500 करोड़ तक के पूँजी निवेश का लक्ष्य प्राप्त करना है। स्टार्ट–अप नीति के द्वारा युवाओं के साथ ही महिला एवं एस0सी0/एस0टी0 श्रेणी के व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन देते हुए उद्यमी के रूप में स्थापित होने में सहयोग किया जायेगा। देश विदेश के उद्योगपतियों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए 2017–18 में **"इनवेस्टर मीट" का आयोजन** किया जाएगा।

राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य खनिजों यथा लाईमस्टोन, सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, मैग्नेसाईट इत्यादि खनिज भण्डारों की खोज व समुचित विकास किये जाने हेतु योजनाएं/लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। खनन प्रशासन कार्यकलापों के अन्तर्गत 2000 स्थलीय निरीक्षण के भौतिक लक्ष्यों तथा ₹ 620 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

उपखनिज की बढ़ती हुयी मांग तथा राजस्व के लक्ष्यों की पूर्ति के दृष्टिगत वर्ष 2017–18 में नदीतल के 100 नये उपखनिज राजस्व क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें पर्यावरणीय अध्ययन कराते हुए खनन/चुगान कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आवास एवं शहरी विकास :

राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। **पी0एम0ए0वाई0 के अन्तर्गत इस वर्ष 5000 मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।** शहरी विकास विभाग इस दिशा में विशेष रूप से प्रयासरत है। दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत युवाओं को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में आधुनिक कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी व युवाओं को स्किल इण्डिया मिशन से जोड़कर स्वावलम्बी बनाया जाएगा।

महिला समृद्धि हेतु 356 स्वयं सहायता समूहों एवं 3 क्षेत्र स्तरीय संघ का निर्माण, ऋण के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहयोग तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के लिये पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 66 वार्ड राज्य द्वारा ओपन डेफीकेशन फ्री (ओ0डी0एफ0) अर्थात खुले में शौच से मुक्त घोषित है तथा 2018 तक प्रदेश के सभी 92 निकायों को (ओ0डी0एफ) करने का लक्ष्य है।

उत्तराखण्ड मुख्यतः एवं पर्वतीय राज्य है। इसके तराई क्षेत्र में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार, रूड़की, लक्सर, बहादराबाद, हरिद्वार बी0एच0ई0एल0 जैसे मुख्य कस्बे विकसित हो रहे हैं। इसी प्रकार जनपद देहरादून मे ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून और इसके आसपास पैरी अर्बन क्षेत्र के रूप में कई कस्बे विकसित हो रहे हैं। इसी प्रकार कुमायूं क्षेत्र के जनपद ऊधमसिंह नगर एवं जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जसपुर, काशीपुर बाजपुर, गदरपुर, रूद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, एवं हल्द्वानी, लालकुआँ, कालाढुंगी, रामनगर भी पिछले दो दशकों में उभरकर विकसित हो रहे हैं। शहरी टाउन कस्बों के समन्वित विकास हेतु इनकी आपसी कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं मेट्रो रेल सिस्टम तथा संबंधित रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेतु फिजिविलिटी के आधार पर उक्त विकास कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे ताकि ये समस्त शहरी कस्बे सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढ़ग से विकसित हों एवं राज्य मे बढ़ते जनसंख्या के दबाव के समाधान की दिशा में 'स्मार्ट स्टेट' के रूप में विकसित हो सकें।

पेयजल विभाग :

पेयजल विभाग प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने कि दिशा में कार्यरत है। पेयजल सुधार हेतु सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

पेयजल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 522 बस्तियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित करने, 820 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन, 08 मिनी नलकूप, 04 गहरे नलकूप, 1343 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण, चारधाम यात्रा मार्गो में पेयजल व्यवस्था यथावत् रखते हुये इनका रख–रखाव, 35 नगरीय

पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण कार्य, 410 हैण्ड पम्पों की मरम्मत का निर्माण का लक्ष्य है। **पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की आशाओं के अनुरूप स्वच्छता भारत मिशन व नमामि गंगे के अन्तर्गत राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को ओ0डी0एफ0 बनाया गया है। 35 सेंसस टॉउन में विश्व बैंक की सहायता से पेयजल योजनाएं शीघ्र ही संचालित की जायेंगी।**

खेल एवं युवा कल्याण :

हम आत्मा की चिन्ता करते हुए शरीर को नहीं भूलते। उपनिषद् में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यः'–दुर्बल (व्यक्ति) आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी प्रकार की सूक्ति है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'– अर्थात् शरीर धर्म का प्रथम साधन है। खेल विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के उन्नयन तथा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं खेलो के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर खेल के क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास करना है। **38वें राष्ट्रीय खेलों के उत्तराखण्ड में सफल आयोजन हेतु विभाग कृत संकल्प है।** इस दिशा में विभाग द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं। हल्द्वानी (नैनीताल) में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कार्य, स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ का निर्माण कार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में एथलेटिक्स सिंथैटिक ट्रैक, 3000 दर्शकों का दर्शकदीर्घा का निर्माण कार्य, भारत सरकार की शहरी खेल अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून के हॉकी ग्राउण्ड में एस्ट्रोटर्फ तथा काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) में बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। सभी जनपदों में

लोकप्रिय एवं प्रचलित खेलों के प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को विभाग द्वारा निःशुल्क खेल प्रशिक्षण एवं खेल सामग्री प्रदान की जाती है। वर्तमान में खेल विभाग द्वारा 200 प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें प्रतिमाह 5000 खिलाड़ी लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य के 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु विभिन्न खेलों के आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित किये गये हैं, जिसमें खिलाड़ियों का चयन खेल कुशलता के आधार पर किया जाता है। खेल विभाग द्वारा उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में आवासीय छात्रावास खोले गये हैं।

राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा युवा नीति 2011 की पुनः समीक्षा की जायेगी एवं इसके माध्यम से राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु रूपरेखा तैयार की जायेगी। मा0 प्रधानमंत्री जी की योजना **'स्किल डेवलपमेंट'** के माध्यम से राज्य के युवाओं की ऊर्जा का उपयोग राज्य व राष्ट्र निर्माण में किया जायेगा, इसके अन्तर्गत प्रदेश में युवाओं को **'स्किल इंडिया मिशन'** से जोड़कर स्वावलम्बी बनाया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी :

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी कार्यशील है, जिसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है। नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के लिए आई0टी0डी0ए0 नोडल एजेंसी है। क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए आई0टी0डी0ए0 को क्रियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 2 अव्यव, वर्टीकल कनेक्टिविटी एवं हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी एक ही नेटवर्क द्वारा इंटरनेट एंवं विडियो कांफ्रेसिंग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इस योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क के माध्यम से जी2सी एवं जी2जी सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

स्वान योजना के अन्तर्गत पूरे राज्य में लक्षित 135 में से 133 पी0ओ0पी0 की स्थापना कर कार्यशील हो चुके हैं। इस परियोजना में 4/2Mbps से राज्य मुख्यालय को जिला मुख्यालय के माध्यम से विकास खण्ड/तहसील स्तर तक नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा गया था, **अब राज्य से जनपद स्तर तक की बैंडविड्थ कनेक्टिविटी 10Mbps की जा रही है।** इसके अन्तर्गत एक ही नेटवर्क द्वारा इंटरनेट एवं वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं। वर्तमान में राज्य के समस्त कोषागार, वाणिज्य कर कार्यालय स्वान नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, तथा अन्य समस्त विभागों को इससे जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य विभागों को भी हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल अवसंरचना के स्थापना हेतु विभिन्न दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क, सामान्य सूचना केन्द्र एवं राज्य आंकड़ा केन्द्र की स्थापना आदि। स्टेट डाटा सेंटर में सभी विभागों के सर्वर स्थापित किये जायेंगे।

डिजिटल इण्डिया की परिकल्पना के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपद मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थलों तथा राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा उत्तराखण्ड राजभवन–देहरादून एवं नैनीताल में वाई–फाई जोन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन :

पर्यटन राज्य सरकार की आर्थिकी का एक प्रमुख स्त्रोत है। राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों एवं निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयत्नशील है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, योग पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन आदि अव्यवों को सम्मिलित करने के साथ–साथ पर्यटन क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के त्वरित एवं समेकित विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत केदारनाथ, यमनोत्री धाम, कार्तिकेय स्वामी, भैरवगढ़ी, पूर्णागिरी, सुरकण्डादेवी, कुंजापुरी में रोपवे व हेमकुण्ड साहिब में फर्निकुलर का निर्माण कराया जाएगा।

उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने हेतु कई नैसर्गिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व के गाँव उपलब्ध हैं, इन ग्रामों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत विकास के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के साथ–साथ ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं इसमें जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु गाँवों में **कॉपरेटिव सोसाईटी बनाकर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक नवीन स्वरोजगार योजना संचालित की जाएगी।**

साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में शिवपुरी अन्तर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। गंगा नदी में कुल 262 रिवर राफ्टिंग फर्मों को 576 राफ्टों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य नदियों में

36 फर्मों को अनुमति प्रदान की गई है। जनमानस को अपनी धार्मिक परम्पराओं से अवगत कराने एवं **धार्मिक पर्यटन को और गति प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।**

बैकिंग सेवाएं :

वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों को आवंटित कनेक्टिविटी रहित 933 सब–सर्विस एरिया (एस0एस0ए0) में से 352 एम0एस0ए0 में बैंकों द्वारा वी–सेट स्थापित कर दिये गये हैं तथा इन एस0एस0ए0 में बैंकों द्वारा बैंक मित्र/बिजनेस कॉरोस्पोन्डेन्ट के माध्यम से जनसाधारण को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कनेक्टिविटी रहित शेष 571 एस0एस0ए में वी0सेट स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर जन–साधारण को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार कुल 20,56,975 हाउस होल्ड में न्यूनतम एक व्यक्ति का बैंक खाता खोले जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 21,54,975 सदस्यों के बचत बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा इनमें से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 13,93,378, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 4,02,411 एवं अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 27,990 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है। बैंकों द्वारा खोले गये 21,54,975 बचत खातों में से 18,07,651 खातों में RuPay-Debit Card जारी किये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 61,865 लाभार्थियों को ₹ 881.76 करोड़ के ऋण वितरित किये गये हैं इसी प्रकार **स्टैण्ड अप इण्डिया,** जिसमें महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी को ₹ 10 लाख से 01 करोड़ तक स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक ऋण का प्रावधान है, में बैंकों के

द्वारा 535 लाभार्थियों को ₹ 114.71 करोड़ के ऋण वितरित किये गये हैं। इसी प्रकार **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत बैंकों के द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं।

मा0 प्रधानमंत्री जी की डिजिटल ट्रांन्जेक्शन को बढ़ावा देने की योजना के दृष्टिगत Aadhar based payment, Bhim App तथा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के लिये जनसाधारण के बैंक खाते में आधार नम्बर की सीड़िग की जा रही है, जिसके लिये बैंकों द्वारा 61 प्रतिशत बचत बैंक खातों में आधार सीड़िग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष खातों में आधार सीड़िग का कार्य गतिमान है। हम **मसूरी को देश का प्रथम पूर्णतः डिजिटलाईज हिल स्टेशन बनाये जाने की ओर अग्रसर हैं,** जिसके लिये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के तत्वाधान में दिनांक 25 मई, 2017 को विशेष अभियान का उद्घाटन किया गया।

वाणिज्य कर :

वर्ष 2000–2001 में राज्य गठन के समय विभाग का कुल संग्रह मात्र ₹ 233.23 करोड़ था, जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर ₹ 6096.24 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित लक्ष्य ₹ 7303.00 करोड़ के सापेक्ष संदर्भित वित्तीय वर्ष में विभाग का कुल संग्रह ₹ 7143.42 करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में संदर्भित अवधि तक प्राप्त संग्रह ₹ 6096.24 करोड़ से **17 प्रतिशत अधिक है, यह प्रतिशत वृद्धि के आधार पर सम्पूर्ण देश में द्वितीय स्थान पर है।**

वाणिज्य कर विभाग के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से त्वरित गति से कम्प्यूटराइजेशन करते हुए वाणिज्य कर विभाग द्वारा ई–रजिस्ट्रेशन, ई–रिटर्न, ई–पेमेन्ट, ई–रिफण्ड, ई–ट्रिपशीट, ई–ट्रांजिट पास, हेल्पडेस्क आदि ऑन–लाईन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

भारत सरकार के **"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस"** कार्यक्रम के अन्तर्गत पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने की तैयारी के क्रम में मूल्यवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर तथा सुख–साधन कर के अन्तर्गत प्रदान किये गये पंजीयनों को विभागीय वेबसाईट पर स्कैन कर अपलोड करने सम्बन्धी व्यवस्था की गई है।

जनहित में शासन द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। जिसमें वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित तात्कालिक आर्थिक सहायता के क्रम में पांच लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

जी0एस0टी0 कर प्रणाली 01 जुलाई, 2017 से लागू होनी प्रस्तावित है, जिसके संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों यथा केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक 2017 तथा माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 को लोकसभा में मंजूरी दिये जाने पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विधान सभा का विशेष सत्र आहूत कर राज्य माल और सेवा कर विधेयक 2017 को पारित किया गया है।

विभाग द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी के संदर्भ में आवश्यक तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गई हैं। जिसके अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों तथा हितधारकों को प्रशिक्षण दिये जाने सहित Dealer Data Migration, PAN Correction, GST Enrollment से सम्बन्धित कार्य किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रतिदर्श वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम तथा नियम की सैद्धान्तिक जानकारी दिये जाने के अतिरिक्त जी0एस0टी0 पोर्टल पर कार्य किये जाने की व्यवहारिक जानकारी दिये जाने सम्बन्धित विशद् प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भी वांछित प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य गतिमान है।

प्रदेश के करदाताओं को जी0एस0टी की जानकारी दिये जाने हेतु एवं GST Enrollment हेतु राज्य के विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक कार्यशाला/कैम्प आयोजित किए गए हैं, इस प्रयास में प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र होते हुये भी 78 प्रतिशत से अधिक करदाताओं द्वारा GST Enrollment का कार्य किया जा चुका है। प्रत्येक कार्यालय में करदाताओं की सहायता हेतु हैल्प डेस्क स्थापित की गई है एवं मुख्यालय पर पर भी एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उददे्श्य से प्रदेश के 50 उप–निबंधक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जनसामान्य की सुविधा हेतु राज्य में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2016 (Ease of Doing Business) के प्रभावी क्रियान्वयन के अन्तर्गत निक्सी के माध्यम से प्रदेश के चार जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल) के उप निबन्धक कार्यालयों के विगत 12 वर्षों के अभिलेखों के स्केनिंग एवं डाटा ऐन्ट्री कार्य किया जा रहा है। भविष्य में शेष उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों के स्केनिंग एवं डाटा एन्ट्री का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जनहित में सरकार द्वारा आगामी पाँच वर्ष तक ₹ 5 लाख तक के कृषि सम्बन्धी क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

आबकारी :

मद्यनिषेध की मूल अवधारणा को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभाग द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए

मादक पदार्थों की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को प्राप्त होने वाले राजस्व के सापेक्ष निदेशन एवं निरीक्षण हेतु प्रशासनिक व्यय निर्धारित लक्ष्य का मात्र 1.29 प्रतिशत होता है। इस प्रकार राजस्व प्राप्ति का अधिकांश भाग प्रदेश के विकास कार्यों में व्यय होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.12.2016 एवं 30.03.2017 (संशोधित निर्णय) के अनुपालन में दुकानों के स्थान परिवर्तन होने तथा कतिपय पुरानी दुकानों के बन्द होने व नये स्थानों पर दुकानों के खोले जाने के दृष्टिगत नयी आबकारी नीति वर्ष 2017–18 (01.06.2017 से 30.03.2018 तक) हेतु दुकानों के व्यवस्थापन से प्राप्त होने वाले राजस्व का जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह दुकानों की प्रास्थिति व स्थान विशेष पर दुकान से मदिरा की बिक्री की क्षमता को आंकलित करते हुए दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर आयुक्त कार्यालय को अवगत करायें।

प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर होटलों एवं लॉज में बार संचालित करने हेतु लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं, जिससे अन्य प्रदेशों से मदिरा की आवक नियंत्रित होती है, अवैध शराब के व्यवसाय पर रोक लगती है साथ ही उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार वैध मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

जनता की सहभागिता से विधि सम्मत व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों पर नियंत्रण रखना, शान्ति व्यवस्था बनाये रखना एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सुरक्षित पर्यावरण बनाये रखना उत्तराखण्ड पुलिस का लक्ष्य है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में थाना सोनप्रयाग तथा जनपद पिथौरागढ़ में थाना जॉजरदेवल की स्थापना की गई एवं जनपद देहरादून में स्थित थाना त्यूनी की अधिसूचना जारी की गई। राज्य में पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत दंगा निरोधी उपकरण तथा अभिसूचना मुख्यालय हेतु डाटा बेस सर्वर, जी0पी0एस0 क्रय किये गये हैं। बम डिस्पोजल स्कवाड (दस्ता) हेतु ब्लास्टिंग मशीन, ऑप्टिकल फाइबर स्कोप, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणशाला स्थापित की गई है।

राज्य में दिनांक 28.04.2017 से चारधाम यात्रा आरम्भ हो गई है। जिसे सकुशल कराये जाने हेतु परिक्षेत्र स्तर से लगाये गये पुलिस/पीएसी बल के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर से 05 कंपनी पीएसी/आईआरबी बल उपलब्ध करायी गई इसके अतिरिक्त इस वर्ष से प्रत्येक धाम में सुरक्षा के दृष्टिगत 01–01 त्वरित कार्यवाही दल की टीम भी नियुक्त की गई है।

आधुनिक संचार प्रणाली के अन्तर्गत वी0आई0पी0 ग्रिड देहरादून में डिजिटल रेडियो नेटवर्क स्थापित किया गया है। प्रदेश में प्रभावी पुलिस पर्यवेक्षण, अपराध नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्थापन हेतु अत्याधुनिक उपकरण, सी0सी0टी0वी0 क्रय किये जायेंगे तथा एक विस्तृत डाटा बैस का निर्माण किया जाएगा।

प्रदेश में 13 जनपदों के विरूद्ध 07 कारागार एवं 02 उपकारागार क्रियाशील हैं। जिला कारागार पिथौरागढ़ व चम्पावत का निर्माण प्रगति पर है। उत्तराखण्ड के समस्त कारागारों में वर्तमान में लगभग 4300 बन्दी निरूद्ध हैं जिनकी सुरक्षा उन्नयन हेतु सभी कारागारों पर **सी0सी0टी0वी0** स्थापित किया जाना विचाराधीन है। उद्योग, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी कारागारों द्वारा विशिष्ट कार्य कराये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के बाद राज्य में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के कार्य–कलापों की गौरवशाली परम्परा रही है तथा पुलिस बल के साथ विशेष योगदान रहा है। राज्य के गठन से पहले होमगार्ड्स का व्यवस्थापन केवल 17 प्रतिशत था जो वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत से अधिक है, यह होमगार्ड्स के बढ़ते हुए योगदान का द्योतक है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के कल्याण हेतु कल्याण कोष स्थापित है।

उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक सुरक्षा संगठन की इकाई जनपद देहरादून में स्थापित है तथा जनपद–रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ, चमोली में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई है। उक्त जिलों में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

राजस्व :

राज्य की अवधारणा के अभ्युदय काल से ही राज्य के सफल संचालन हेतु आर्थिक संसाधनों को सुव्यवस्थित/संगठित किये जाने में राजस्व विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में राजस्व विभाग द्वारा भूमि व्यवस्थाओं का नियमन, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक इकाईयों का सृजन, पर्वतीय भू–भाग में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना/नियमन, प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं में राहत/बचाव कार्यों का सम्पादन व प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण/अपशमन के कार्य, विभिन्न स्तरों पर सम्पादित होने वाले सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी विविध कार्य, राज्य के सर्वागींण विकास में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापना सम्बन्धी कार्य तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा लोक कल्याण में प्रायोजित कार्यक्रम/योजनाओं को त्वरित, निर्बाध व सुलभतापूर्वक जन साधारण को अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्य इत्यादि का सम्पादन राज्य हित में किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदेश में जेड0ए0 खतौनियों का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित पायलट जनपद क्रमशः अल्मोड़ा व पौड़ी गढ़वाल के कैडस्ट्रल नक्शों को डिजिटाईज कराये जाने के लिए निविदा जारी की गई है एवं पायलट जनपदों के अतिरिक्त अवशेष 11 जनपदों को भी योजना के अधीन सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

मैदानी जनपदों के अतिरिक्त पर्वतीय जनपदों में चकबन्दी कार्यों को निष्पादित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी अधिनियम, 2016 का प्रख्यापन किया गया है।

आपदा प्रबन्धन :

वर्ष 2013 की आपदा के अनुभवों के आधार पर आपदा के समय त्वरित प्रतिवादन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एस0डी0आर0एफ0) का गठन किया गया है। इस बल में चार कम्पनियां हैं। इस प्रकार एस0डी0आर0एफ0 में लगभग 400 जवान उपलब्ध हैं। एस0डी0आर0एफ0 को खोज एवं बचाव हेतु लगभग ₹ 25 करोड़ के अत्याधुनिक उपकरण क्रय कर उपलब्ध कराये गये हैं।

प्राकृतिक आपदा, 2013 के उपरान्त विभिन्न पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का संचालन विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक सहायतित यू0डी0आर0पी0/यू0ई0ए0पी0 परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसमें सड़कों, पेयजल योजनाओं, पर्यटन विभाग के सम्बन्धित योजनाओं, हैलीपैडो का निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अर्ली **वार्निंग सिस्टम की स्थापना, ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन की स्थापना तथा ऑटोमेटिक रेनगेज** की स्थापना आदि कार्य किये जा रहे हैं। आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन

व यात्रियों की सुरक्षित निकासी हेतु 30 स्थानों पर हैलीपेड़ो का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केदारनाथ धाम में, लिनचौली, भीमबली, व गौरीकुण्ड में भी हैलीपैड तैयार किये गये हैं। आई0एम0डी0 की सहायता से मंसूरी व नैनीताल में डाप्लर रडार हेतु स्थान चिन्हित किया जा चुका है।

सचिवालय परिसर में स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा मौसम सम्बन्धित जानकारियों के साथ ही आपदा सम्बन्धित सूचनाएं व आपदा जागरूकता सम्बन्धित संदेश एस0एम0एस0 सेवा का उपयोग किया जा रहा है। यह संदेश राज्य व जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों, जन समुदाय के प्रतिनिधियों एवं मीडिया को भेजे जाते हैं।

राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा संचालित मॉक ड्रिल, जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार एवं आपदा जागरूकता, साहित्य आदि का प्रकाशन किया जा रहा है।

आपदा प्रबन्धन तंत्र को और मजबूत व सक्षम किये जाने हेतु विद्यालयी आपदा प्रबन्धन योजना, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 आदि का विकास किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूकम्प से सुरक्षा की दृष्टिगत कुल 07 विद्यालयों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा प्रत्येक जनपद के 10 महत्वपूर्ण भवनों में रेट्रोफिटिंग के लिये योजना भी तैयार की गई है।

राज्य के सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाने हेतु रेपिड विजुअल सर्वे कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अभी तक 8250 भवनों का आर0वी0एस0 कराया जा चुका है। विश्व बैंक पोषित यूडीआरपी के अन्तर्गत डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य की किसी भी प्रकार से आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने हेतु क्षमता में विकास होगा।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा 10 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किया गया। लगभग 2225 स्थानीय लोगों को इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु राज्य में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम चलाये गये हैं तथा अब तक इस वित्तीय वर्ष में 224 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा चलाये जनजागरूकता कार्यक्रम में अन्तर्गत लगभग 5000 व्यक्तियों एव कार्मिकों को खोज एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार व विश्व बैंक के यू0डी0आर0पी0–II के तहत ₹ 650 करोड़ की धनराशि पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त की गई है, जिससे आपदा प्रबन्धन तंत्र और अधिक विकसित हो सकेगा।

मान्यवर,

उत्तराखण्ड राज्य की आय के अनुमान 2011–12 से 2015–16 तक के आंकड़ों का प्रकाशन आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर किया गया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2015–16 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद ₹ 184091 करोड़ है, जबकि राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 8.70 प्रतिशत एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 151219 आंकलित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समेकित विकास एवं प्रभावी नियोजन हेतु संयुक्त राष्ट्र–सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को राज्य के प्रमुख ग्रोथ इंजन पर्वतीय कृषि (Organic Farming)/उद्यान, पर्यटन, ऊर्जा, वन, आयुष तथा सूचना प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2030 तक पूर्ण करने हेतु 3–वर्षीय कार्ययोजना, 7–वर्षीय रणनीति तथा 15–वर्षीय विजन तैयार किया जा रहा है।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2017–18 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 39856.13 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें ₹ 31593.08 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 8263.05 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ₹ 20893.76 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 7113.48 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹ 16248.99 करोड़ में कर राजस्व ₹ 13780.28 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 2468.71 करोड़ अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2017–18 में ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 2640.23 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 4409.95 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग ₹ 11044.44 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ₹ 815.09 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹ 4272.28 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2017–18 में कुल व्यय ₹ 39957.79 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ₹ 31550.83 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 8406.96 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ₹ 39856.13 करोड़ में कुल व्यय ₹ 39957.79 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2017–18 में ₹ 101.66 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि ₹ 42.26 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है, जबकि ₹ 5471.42 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2017–18 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 250 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जाएंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2017–18 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष ₹ 458.24 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष ₹ 356.58 करोड़ ऋणात्मक रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए,

मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन.आई.सी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

बाधाएँ आती हैं आएँ

घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,

पावों के नीचे अंगारे,

सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,

निज हाथों में हँसते–हँसते,

आग लगाकर जलना होगा।

कदम मिलाकर चलना होगा।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक सदन को समर्पित करता हूँ।

ज्येष्ठ 18, शक सम्वत् 1939
तद्नुसार
08 जून, 2017